
छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक विद्यालय के सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों का

दूरस्थ शिक्षा पद्धति से
डी.एल.एड. प्रशिक्षण

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

पृष्ठभूमि

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,
2009 की धारा 23 की उपधारा 2 के अनुसार –

ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ
पर धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित
न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी
न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

राज्य में प्राथमिक शालाओं में अध्यापन करने वाले 45000 से
अधिक शिक्षकों के पास व्यावसायिक योग्यता नहीं

पृष्ठभूमि

राज्य में प्राथमिक स्तर के शासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिनकी नियुक्ति 3 सितम्बर 2001 के पश्चात हुई हो एवं जिनके पास डी.एड. या बी.एड. की डिग्री नहीं है, के लिये दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु

- प्रशिक्षण दूरस्थ पद्धति से।
- प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष।
- डी.एड. नियमित का पाठ्यक्रम।
- 03 वर्षों में समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य।
वर्षवार योजना –

वर्ष	अनुमानित लक्ष्य
2012 –2013	10000
2013–2014	शेष समस्त

प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु

- प्रशिक्षण का संचालन एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा 100 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से।
- प्रत्येक केन्द्र में प्रतिवर्ष कम से कम 100 प्रशिक्षार्थी दर्ज होंगे।
- परीक्षा एवं सर्टिफिकेशन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा।
- वर्ष में दो बार परीक्षा।
- अधिकतम छः परीक्षाओं में संपूर्ण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का अवसर।
- एन.सी.टी.ई. एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद् के मानकों का पूर्णतः पालन।
- सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की सतत मॉनिटरिंग एवं फीड बैक प्राप्ति।

मुख्यालय

- संचालन एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया जाएगा।
- एस.सी.ई.आर.टी. के संचालक पदेन राज्य कार्यक्रम प्रभारी।
- एस.सी.ई.आर.टी. में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना जिसका Structure इस प्रकार है—

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की पद-संरचना

पद	संख्या	पात्रता
संचालक (राज्य कार्यक्रम प्रभारी)	01	पदेन
राज्य समन्वयक	01	एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित व्याख्याता पद की योग्यता रखने वाले संकाय सदस्य
सहायक राज्य समन्वयक	02	एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित व्याख्याता पद की योग्यता रखने वाले संकाय सदस्य
प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता (विषय विशेषज्ञ)	12	पाठ्यक्रम के अनुरूप एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की पद-संरचना

साफ्टवेयर विशेषज्ञ	02	राज्य शासन द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार
एकाउन्टेन्ट	02	राज्य शासन द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार
डाटा एंट्री ऑपरेटर	04	राज्य शासन द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार
कार्यालय सहायक	04	राज्य शासन द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार
भृत्य	02	राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार

अध्ययन केन्द्र

- प्रत्येक केन्द्र में सम्पर्क कक्षाओं का संचालन दो बैच में।
- प्रत्येक बैच में 50-50 प्रशिक्षार्थी इस तरह प्रत्येक केन्द्र में 100 प्रशिक्षार्थी।
- कार्यक्रम का संचालन अवकाश के दिनों में।
- एम.एड./बी.एड. प्रशिक्षित शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षक प्रशिक्षकों का भी उपयोग।
- आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया द्वारा प्रशिक्षकों का चयन।

अध्ययन केन्द्र की संरचना

(अ) अकादमिक स्टॉफ –

पद	संख्या	पात्रता
प्राचार्य (केन्द्र कार्यक्रम प्रभारी)	01	पदेन
केन्द्र समन्वयक	01	एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित व्याख्याता की योग्यतानुसार
सहायक केन्द्र समन्वयक	01	एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित व्याख्याता की योग्यतानुसार
विषय विशेषज्ञ	12 (प्रत्येक बैच हेतु 6 6)	पाठ्यक्रम के अनुरूप एवं एन.सी.टी.ई.द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार

अध्ययन केन्द्र की संरचना

(ब) कार्यालयीन स्टाँफ –

पद	संख्या	पात्रता
एकाउन्टेन्ट कम क्लर्क	01	राज्य शासन द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार
डाटा एंट्री ऑपरेटर	01	राज्य शासन द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार
लाइब्रेरियन	01	राज्य शासन द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार
भृत्य	01	राज्य शासन द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार

मानदेय

प्रत्येक स्रोत व्यक्ति को –

सम्पर्क कार्यक्रम

मेंटरींग

शाला पर्यवेक्षण

सत्रीय कार्य

प्रोजेक्ट, इत्यादि हेतु प्रति वर्ष 75 दिन का मानदेय प्रति दिवस रु.

300/- की दर से देय होगा

प्रशिक्षण अवधि, दाखिल शिक्षकों की संख्या, पात्रता

- कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र अथवा चार सेमेस्टर।
- मार्गदर्शन व संपर्क सत्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की दो दीर्घ अवधियों का उपयोग।
- प्रत्येक चरण में प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में 100 प्रशिक्षार्थी दर्ज होंगे।
- वरिष्ठता के आधार पर चयन।
- शिक्षकों का चयन एवं नामांकन जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग द्वारा।

निःशुल्क पाठ्यसामग्री का प्रदाय एवं वितरण

- प्रशिक्षार्थियों को मुद्रित पाठ्यपुस्तकें/पाठ्यसामग्री व अन्य स्व-अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना।
- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना।

संबद्ध संस्थानों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

(अ) एस.सी.ई.आर.टी.

- अकादमिक प्राधिकरण के रूप में राज्य में कार्यक्रम का संचालन।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु स्व-अधिगम पाठ्यसामग्री का निर्माण।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव तथा क्रियान्वयन की समग्र योजना तैयार करना।
- कार्यक्रम की गाइड लाइन तैयार कर संबंधित अभिकरणों/व्यक्तियों को वितरण।
- प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का चयन, आवश्यकतानुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन।
- पाठ्यक्रम का समयावधि में मुद्रण एवं वितरण।
- स्रोत व्यक्तियों/विषय विशेषज्ञों/Mentor, समन्वयकों का चयन एवं उन्मुखीकरण।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता हेतु अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना।

(ब) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल –

- परीक्षा की संपूर्ण योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना।
- प्रश्नपत्रों का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण।
- परीक्षा परिणाम तैयार कर प्रमाणपत्रों का वितरण।

विभिन्न स्तरों पर सतत् मानिटरिंग –

- कार्यक्रम की तीन स्तरों पर सतत् मानिटरिंग – राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. एवं शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा, जिला स्तर पर जिला स्तरीय मानिटरिंग समिति द्वारा तथा अध्ययन केन्द्र स्तर पर केन्द्र प्रभारी व केन्द्र समन्वयक द्वारा।
- राज्य स्तर पर मानिटरिंग हेतु एस.सी.ई.आर.टी., शिक्षा महाविद्यालयों एवं एस.एस.ए. की संयुक्त टीम।
- एस.सी.ई.आर.टी. के जिला प्रभारियों द्वारा अपने जिलों में प्रशिक्षण की सतत् मानिटरिंग।
- जिला स्तर पर जिला स्तरीय मानिटरिंग समिति (Principal DIET, DEO, DPC)।
- मानिटरिंग में संपर्क कार्यक्रम के अभिलेखों के साथ प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान।
- प्रशिक्षार्थियों से प्रशिक्षण की गुणवत्ता व प्रभाविता पर निरंतर फीडबैक।

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम

मुक्त अधिगम

मुक्त अधिगम का दर्शन है सीखने के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराना

- सीखने का समय – समय की बाध्यता नहीं
- सीखने का स्थान – घर, कार्यस्थल या अन्य कोई स्थान
- सीखने की गति – व्यक्ति की क्षमता अनुसार
- सीखने का माध्यम – प्रिन्ट, ऑनलाइन, टेलिविज़न, एजुसेट, अडियो, विडियो, इत्यादि
- सीखने में सहयोगी – सम्पर्क कार्यक्रम, आपसी चर्चा, मेंटर, पठन सामग्री, इत्यादि

दूरस्थ अधिगम

दूरस्थ अधिगम की विशिष्टता—

- शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य औपचारिक सीखने – सिखाने की प्रक्रिया नहीं
- दूरस्थ माध्यमों से सीखने के अवसर
- अपने अध्ययन केन्द्र से दूर रहकर सीखना
- स्वयं के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता का विकास

शिक्षण अधिगम का परिदृश्य

	निर्धारित समय	अनिर्धारित समय
निर्धारित स्थान	कक्षा—कक्ष शिक्षण, सम्पर्क कार्यक्रम, सेमीनार, कार्यशाला	अधिगम स्रोत केन्द्र, वाचनालय जहां शिक्षार्थी अपने फुरसत के समय जा सकते हैं
अनिर्धारित स्थान	दृश्य एवं श्रव्य सम्मेलन,	स्वाध्याय, फोन, ईमेल, फ़ैक्स इत्यादि

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के लाभ

- भौतिक दूरियां बाधा नहीं
- समय निर्धारण की समस्या नहीं
- कार्यक्रम विस्तार की कोई सीमा नहीं
- सब के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता
- व्यक्ति के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक विचारों को स्थान दिया जा सकता है
- व्यय प्रभावी शिक्षण व्यवस्था
- नियमित अध्ययन की वैकल्पिक व्यवस्था
- सीखने की प्रक्रिया को आजीवन निरंतर बनाए रखने का अवसर

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम की सीमाएं

- व्यक्तिगत पूर्वाग्रह
- नियमित कोर्स की अपेक्षा दूसरे दर्जे की मान्यता
- गुणवत्ता पर सदैव प्रश्न उठते हैं
- प्रशिक्षित एवं समर्पित मानव संसाधन की आवश्यकता

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम क्यों?

- पहुंच एवं विस्तार की अधिक सम्भावनाएं
- असमानताओं को दूर करना
- गुणवत्तायुक्त एवं प्रभावशाली अधिगम
- अर्थपूर्ण एवं जीवन पर्यन्त सीखना
- तकनीक का उपयोग
- व्यय कुशल

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम समस्याएं एवं चुनौतियां

- कार्यक्रम की उपलब्धि
- शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता
- संकाय सदस्यों पर कार्य का दबाव
- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम पर निरंतर शोध
- लचीलापन व व्यावसायिक योग्यता
- नई तकनीकों का समावेश

अध्ययन केन्द्र

अध्ययन केन्द्र क्या

- मुक्त एवं दूरस्थ पद्धति से डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए स्रोत केन्द्र
- प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए हर तरह की मदद प्राप्त करने का स्थान
- राज्य कार्यालय एवं प्रशिक्षु शिक्षकों के मध्य सम्पर्क की कड़ी
- आन्तरिक मूल्यांकन के लिए अधिकृत केन्द्र
- गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी

अध्ययन केन्द्र की भूमिका – केन्द्र प्रभारी

- केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों का पंजीयन करना।
- प्रशिक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था कैसी होगी वे समूह में कार्य कैसे करेंगे सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री व अन्य प्रपत्र उपलब्ध कराना।
- केन्द्र समन्वयक एवं सहायक केन्द्र समन्वयक के साथ मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना।
- केन्द्र समन्वयक एवं सहायक केन्द्र समन्वयक के मध्य कार्यों का विभाजन करना।
- सभी स्रोत व्यक्तियों से चर्चा कर उनको अध्यापन योजना बनाने में मदद करना।

अध्ययन केन्द्र की भूमिका – केन्द्र प्रभारी

- सभी प्रशिक्षु शिक्षकों से संवाद स्थापित करना ताकि वे अपनी परेशानियों को व्यक्त कर सकें तथा आवश्यकता अनुसार समाधान हेतु उनकी समस्याओं को D.E.O, DIET, SCERT को प्रेषित करना।
- अध्यापन केन्द्र के एकाउन्टेन्ट/लिपिक के कार्यों की नियमित समीक्षा तथा मार्गदर्शन करना।
- डाटा एन्टी अपरेटर के कार्यों की नियमित समीक्षा तथा मार्गदर्शन करना।
- दिन प्रतिदिन व्यय का लेखा जोखा रखना।

अध्ययन केन्द्र की भूमिका – केन्द्र समन्वयक

- डाइट व एस.सी.ई.आर.टी को केन्द्र की गतिविधियों की रिपोर्ट नियमित भेजना।
- प्रत्येक प्रशिक्षु शिक्षक के लिए मेंटर निर्धारित करना।
- मेंटरों द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों को उनके कार्यस्थल में दिए गए सुझावों की समीक्षा करना (समूह में)। यदि कोई विशेष आवश्यकता महसूस की जाती है तो इसे एस.सी.ई.आर.टी को प्रेषित करना।
- सभी प्रशिक्षार्थियों हेतु सत्रीय कार्य एवं प्रोजेक्ट नियत करना।
- सत्रीय कार्य एवं प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना।

अध्ययन केन्द्र की भूमिका – केन्द्र समन्वयक

- एस.सी.ई.आर.टी से दिए गए निर्देशों को प्राप्त करना एवं प्रशिक्षार्थियों को प्रेषित करना।
- सम्पर्क कार्यक्रम के समय सभी प्रशिक्षु शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- आनलाईन उपस्थिति सुनिश्चित करना।

अध्ययन केन्द्र की भूमिका – विषय विशेषज्ञ

- प्रशिक्षार्थियों के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार/मेंटर की भूमिका में
- प्रशिक्षार्थियों से नियमित सम्पर्क सुनिश्चित करना
- प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की सम्पूर्ण योजना से परिचित करवाना
- विषय विशेषज्ञ के रूप में विषय से सम्बन्धित समझ बनाने में मदद करना
- प्रशिक्षार्थियों को स्वध्याय के लिए प्रेरित करना
- प्रशिक्षार्थियों के अनुभवों को ध्यान से सुनना व सुझाव देना

अध्ययन केन्द्र की भूमिका – विषय विशेषज्ञ

- प्रशिक्षार्थियों को मदद पहुंचाने हेतु अपनी क्षमता में निरंतर विकास करते रहना
- प्रशिक्षार्थियों को प्रत्येक अध्याय में निर्धारित अभ्यास कार्यों को अपने संदर्भ में सोचने हेतु प्रेरित करना
- प्रशिक्षार्थियों के लिए विषय से सम्बन्धित सत्रीय कार्य तैयार कर प्रदान करना
- प्रशिक्षार्थियों से सम्बन्धित विषय का प्रोजेक्ट तैयार करवाना
- सत्रीय कार्य एवं प्रोजेक्ट की निरंतर समीक्षा कर मार्गदर्शन देना
- प्रशिक्षार्थियों का निरंतर मूल्यांकन कर उनकी विकास की गति के आधार पर उनके सहयोग से प्रत्येक के लिए योजना बनाना

सम्पर्क कार्यक्रम

सम्पर्क कार्यक्रम क्या?

- प्रशिक्षु शिक्षकों एवं स्रोत व्यक्तियों के मध्य सम्पर्क का अवसर
- अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों से अनुभव बांटने का अवसर
- पाठ्यक्रम की समस्त गतिविधियों से परिचित होने का अवसर
- गतिविधियां कैसे सम्पन्न होंगी समझने का अवसर
- प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा की गई गतिविधियों पर समीक्षा एवं सुधार हेतु उपाय सोचने का अवसर

सम्पर्क कार्यक्रम कैसे

- प्रशिक्षु शिक्षकों को पाठ्यक्रम को समझने का अवसर प्रारंभ में ही प्राप्त हो इसलिए पाठ्यक्रम की शुरुआत सम्पर्क कक्षाओं से की जाएगी
- मुख्यतः यह कार्यक्रम अवकाश के दिनों में सम्पन्न होगा
- केन्द्र में पंजीकृत समस्त प्रशिक्षु शिक्षक सम्मिलित होंगे
- 100 प्रशिक्षु शिक्षकों को 2 समूहों में बांटकर कार्यक्रम संचालित किया जावेगा
- कार्यक्रम का समय एवं तिथि पूर्व निर्धारित होगी

सम्पर्क कार्यक्रम में क्या होगा

- पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा
- प्रशिक्षार्थी समूह में पढ़कर व आपस में चर्चा कर सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि उनमें पाठ्यसामग्री को पढ़ने एवं उस पर चिंतन, मनन करने की आदत विकसित हो
- प्रशिक्षणार्थी अभ्यास करेंगे। इससे उन्हें अभ्यासों की प्रकृति व उनकी उपयोगिता समझने में मदद मिलेगी
- प्रशिक्षार्थी एक-दूसरे को जान पाएंगे और संपर्क कक्षाओं के बाद भी वे एक-दूसरे से बातचीत जारी रख मिलकर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकेंगे

सम्पर्क कार्यक्रम में क्या होगा

- स्वध्याय कैसे करें तथा स्वयं के लिए संसाधन कैसे जुटा सकते हैं, पर विचार
- शाला को एक अलग नजरिये से कैसे देखेंगे ,उस पर विचार
- मेन्टर की मदद किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, जानेंगे
- सत्रीय कार्य व प्रायोजना कैसे करेंगे व कब –कब जमा करेंगे तथा इन पर फीडबैक कैसे प्राप्त करेंगे

शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्यक्रम

शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्यक्रम से आशय

गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के विचार को साकार रूप देने के लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम एवं अवसर उपलब्ध कराना ताकि—

- शिक्षकों में बच्चों की समझ,
- वास्तविक परिस्थिति में गुणवत्ता युक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समझ,
- समस्याओं को पहचानने तथा विभिन्न समकालीन चुनौतियों पर चिंतन कर उन पर विजय प्राप्त कर सकने में मदद कर सके

शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन के उद्देश्य

- शाला में कार्य करते हुए शाला को तथा उसमें कार्य करने के तरीको को समग्र रूप से समझने हेतु अवसर प्रदान करना
- वास्तविक परिस्थितियों में प्रभावी शिक्षण के लिए सैद्धांतिक समझ का व्यवहार में उपयोग और चिंतन क्षमता का विकास करना
- विद्यालय संबंधी विभिन्न कार्यों को करने के अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे प्रत्येक समस्या एवं चुनौती को पहचान कर, हल कर पाने की क्षमता स्वयं विकसित करना

शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन के उद्देश्य

- बच्चों की समझ के अनुरूप प्रभावी शिक्षण कार्य के लिए स्वयं को तैयार करना
- प्रशिक्षु शिक्षकों में विषय वस्तु पर पूरे अधिकार और विश्वास के साथ अध्यापन करने की क्षमता का विकास करना
- कार्यक्रम के दौरान शाला प्रबंधन, समुदाय के साथ कार्य, बच्चों को समझना तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को समझना एवं प्रभावी शिक्षण हेतु इनकी आवश्यकता को महसूस करने का अवसर देना जिससे विद्यालय, समुदाय तथा बच्चों के बीच आपसी संबंध की समझ विकसित हो सके

प्रपत्र

- शालेय चिंतन एवं मनन कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कुल 8 प्रपत्र भरने हैं।
- प्रपत्र क्र. 9 प्रशिक्षार्थी के कार्यों की समीक्षा कर प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जावेगा।
- प्रशिक्षार्थी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्रों में पहले 6 प्रपत्र ऐसे हैं जो एक ही बार भरने हैं।
- प्रपत्र 7 प्रशिक्षार्थी द्वारा कक्षा में किए गए कार्य पर स्वयं के मूल्यांकन का अवसर उपलब्ध कराएगा।
- प्रपत्र 8, प्रशिक्षार्थी द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्यों पर चिंतनशील डायरी लिखने के लिए कुछ बिन्दु हैं।

प्रपत्रों का विवरण 1 से 6 तक

- प्रपत्र 1 – शाला की वास्तविक जानकारी
- प्रपत्र 2 – कक्षा अवलोकन
- प्रपत्र 3 – बच्चों से बातचीत
- प्रपत्र 4 – गाँव/मोहल्ला की सामान्य जानकारी
- प्रपत्र 5 – शाला एवं समुदाय का संबंध
- प्रपत्र 6 – बच्चों के स्थानीय खेलों का उपयोग

प्रपत्र क्रमांक 7 के मुख्य बिन्दु

1. क्या सिखाना चाहते थे? कौन सी अवधारणाएँ स्पष्ट करने की योजना थी
2. क्या तरीका सोचा था
3. कौन सी सामग्री व गतिविधियाँ आपकी योजना का हिस्सा थे
4. विषय वस्तु से संबंधित गतिविधियाँ, जो छात्रों को कक्षा में करवाई गई
5. क्या सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा आपने सोचा था, यदि नहीं हुआ तो क्यों?
6. क्या बच्चों के सीखने की प्रगति से आप संतुष्ट हैं?
7. आप अपने अध्यापन को कौन सा ग्रेड देना चाहेंगे (A,B,C,D एवं E क्रमशः अति उत्तम से बहुत खराब हैं)

प्रपत्र क्रमांक 8 के मुख्य बिन्दु

दैनिक शिक्षण योजना व डायरी लेखन के बिन्दु

- क्या सिखाएँगे,करेंगे, खेलेगें (कौशल जो विकसित किए जायेंगे/उद्देश्य)
- कैसे सिखाएँगे,करेंगे,खेलेगें (गतिविधि/ शिक्षण विधि) कितने समूह बनाएंगे और क्यों
- सहायक सामग्री जो उपयोग करेंगे
- किन-किन बच्चों ने क्या सीखा,किया, खेला
- किन-किन बच्चों ने प्रयास नहीं किया
- कठिनाई व उसके कारण
- अगले दिन योजना में क्या परिवर्तन होगा।

चर्चा के बिन्दु

- ❑ बच्चों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने के संबंध में।
- ❑ बच्चों के साथ खेलों के आयोजन के संबंध में ।
- ❑ समग्र शिक्षण योजना का निर्माण करना एवं उस पर चर्चा।
- ❑ कक्षा संचालन कैसे करें पर चर्चा।
- ❑ बच्चों से किए जाने वाले संभावित सवाल-जवाबों पर चर्चा।
- ❑ बच्चों के कक्षा कार्य तथा गृह कार्य की जाँच पर चर्चा।
- ❑ व्यक्तिगत डायरी/ प्रतिवेदन कैसे लिखें ?
- ❑ बच्चों व उनके व्यवहार की समझ।

चर्चा के बिन्दु

- अनुपस्थित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों पर बातचीत
- प्रशिक्षु शिक्षक का आकलन जिन बिन्दुओं पर होना है, अध्ययन केन्द्र के पर्यवेक्षक उन्हें बताएँगे।
- 60 दिनों पर आधारित प्रशिक्षु शिक्षकों की मूल्यांकन प्रक्रिया पर चर्चा ताकि प्रशिक्षु शिक्षक 60 दिनों की प्रत्येक गतिविधि को पूरी गंभीरता और सतर्कता से सम्पन्न कर सकें

चर्चा के बिन्दु

- शिक्षण की परंपरागत विधियाँ
- वर्तमान प्रशिक्षण प्रक्रिया की जानकारी
- बच्चों के साथ कार्य करने के अनुभव को समझना व बाँटना
- कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यपुस्तकों (भाषा एवं गणित) की समझ
- समग्र शिक्षण योजना निर्माण एवं दैनिक शिक्षण योजना भाषा
- समग्र शिक्षण योजना निर्माण एवं दैनिक शिक्षण योजना गणित

दैनिक शिक्षण योजना

शिक्षण के पूर्व		शिक्षण के समय			शिक्षण के पश्चात		
शिक्षण योजना क्र.	क्या सिखाएँगे (कौशल जो विकसित किए जायेंगे)	कैसे सिखाएँगे (गतिविधि / शिक्षण विधि)	सहायक सामग्री जो उपयोग करेंगे	बच्चे ने क्या सीखा	कितने बच्चों ने सीखा	कठिनाई	अगले दिन पाठयोजना में क्या परिवर्तन होगा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

मूल्यांकन

मूल्यांकन योजना

क्र	विवरण	अंक
1.	सैद्धांतिक परीक्षा कुल प्रश्न पत्र .6	
	प्रत्येक प्रश्नपत्र के अंक 80 – (6 X 80)	480 अंक
	प्रत्येक प्रश्न पत्र में सत्रीय कार्य अंक 20 (6 X 20)	120 अंक
		600 अंक
2.	व्यावहारिक, मूल्यांकन –	
	1.1.शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्यक्रम	150 अंक
	1.2 प्रोजेक्ट कार्य	150 अंक
	कुल	300 अंक
महायोग		900 अंक

सैद्धांतिक परीक्षा

प्रश्न पत्र क्रमांक	विषय का नाम	आंतरिक मूल्यांकन	न्यूनतम उत्तीर्णांक	सैद्धांतिक परीक्षा	न्यूनतम उत्तीर्णांक	योग	विशेष
पहला	ज्ञान, शिक्षाक्रम और शिक्षणशास्त्र	20	10	80	40	100	सैद्धांतिक व आंतरिक परीक्षा में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
दूसरा	बाल विकास और सीखना	20	10	80	40	100	
तीसरा	शाला व समुदाय	20	10	80	40	100	
चौथा	कला शिक्षण	20	10	80	40	100	
पांचवां	गणित व गणित शिक्षण	20	10	80	40	100	
छठवां	भाषा व भाषा शिक्षण	20	10	80	40	100	
योग		120	60	480	240	600	

परीक्षा योजना

प्रश्न के स्वरूप (सैद्धांतिक परीक्षा)

खण्ड	विवरण	पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या	हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या	कुल शब्दों में	अंक	कुल अंक
अ	तर्क / कारण से संबंधित प्रश्न	8	6	कम से कम 50 शब्दों में	3	18
ब	समझ से संबंधित प्रश्न	10	6	कम से कम 150 शब्दों में	5	30
स	विश्लेषणात्मक प्रश्न	7	4	कम से कम 250 शब्दों में	8	32
योग		25	16		16	80

शालेय कार्य पर चिंतन एवं मनन कार्यक्रम

क्र.	विषय	अंक	आंतरिक/बाह्य मूल्यांकन
अ	1. प्रधान अध्यापक/शाला शिक्षकों द्वारा दी गई राय के आधार पर मूल्यांकन	50	आंतरिक मूल्यांकन
	2. अध्ययन केन्द्र पर्यवेक्षक/मेंटर द्वारा मूल्यांकन	50	आंतरिक मूल्यांकन
	3. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर मूल्यांकन	50	आंतरिक मूल्यांकन
	1 प्रशिक्षार्थी द्वारा निर्मित दैनिक शिक्षण योजना व क्रियान्वयन डायरी पर चर्चा एवं सत्र भर प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा किए कार्यों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर।		
कुल		150	

प्रधान अध्यापक/शिक्षक किन-किन बिन्दुओं पर आकलन करेंगे

क्र.	मूल्यांकन के बिन्दु	ग्रेड	प्रधानाध्यापक की संक्षिप्त टीप, (ग्रेड देने का कारण)
1	प्रशिक्षु शिक्षक का शाला-कक्षा में समय पर एवं नियमित उपस्थिति		
2	शिक्षण योजना की पूर्व तैयारी तथा उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन		
3	शिक्षण विधि तथा गतिविधियों का चुनाव-पूर्व दिवस के साथ तारतम्यता एवं क्रमबद्धता		
4	पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री का उपयोग		
5	कक्षा में बच्चों की भागीदारी		
6	स्वच्छता; शाला वातावरण एवं कक्षा के वातावरण में योगदान		
7	प्रशिक्षु शिक्षक का समुदाय से सम्बंध		
8	शाला में अनुपस्थित - अनियमित बच्चों को नियमित करने में प्रशिक्षु शिक्षक का प्रयास		
9	कक्षा प्रबंधन विशेषकर बैठक व्यवस्था का कार्य के अनुरूप होना		
10	बच्चों के गृहकार्य एवं कक्षा कार्य की नियमित जाँच		
संचयी ग्रेड			

अध्ययन केन्द्र पर्यवेक्षक/मैंटर द्वारा मूल्यांकन

क्र	मूल्यांकन के बिन्दु	अंक	प्राप्तांक	विशेष टीप
1	शाला अवलोकन कर प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए प्रतिवेदन की रिपोर्ट के आधार पर	5		
2	प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा तैयार समग्र शिक्षण योजना	10		
3	समग्र शिक्षण योजना के अनुरूप अध्यापन कार्य तथा उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन	10		
4	कक्षा व शाला में प्रशिक्षु शिक्षक का व्यवहार एवं भागीदारी तथा बच्चों की समझ।	10		
5	बच्चों के खेल, सामुदायिक सहभागिता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ किया गया कार्य	15		
योग		50		

अध्ययन केन्द्र में गठित समिति द्वारा मूल्यांकन

1. प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा अपने किए गए कार्य का प्रस्तुतीकरण: कुल 20 अंक
 - कार्य की समझ (प्रशिक्षु शिक्षक के शिक्षकीय कार्य) 5 अंक
 - बच्चों के बारे में समझ 5 अंक
 - बच्चों को सिखाने में शिक्षण योजना का महत्व 5 अंक
 - विषय की स्पष्टता (भाषा एवं गणित विषय) 5 अंक
2. प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा तैयार समग्र शिक्षण योजना एवं उसमें आवश्यकतानुसार किए गए परिवर्तन 5 अंक
3. 60 शिक्षण दिवस का कार्य प्रतिवेदन 20 अंक
4. प्रशिक्षु शिक्षक से सवाल-जवाब 5 अंक

सत्रीय कार्य के उद्देश्य

- प्रतिमाह केवल दो बार ही प्रशिक्षु शिक्षकों से बातचित होगी अतः दत्त कार्य को उनके द्वार पढ़े गए सामग्रियों के आधार पर विकसित समझ को जानने के दृष्टी कोण से देखा जाएगा ।
- सत्रीय कार्यों के मूल्यांकन के माध्यम से यह पता चल पाएगा कि प्रशिक्षार्थियों को पढ़कर समझ आ रहा है अथवा नहीं तथा वे अपनी समझ को दैनिक जीवन से जोड़ पा रहे हैं अथवा नहीं ।

सत्रीय कार्य का संचालन

- प्रथम दत्त कार्य का मूल्यांकन कर टीप के साथ वापस करेंगे
- प्रत्येक विषय में एक शैक्षिक वर्ष में 4 सत्रीय कार्य दिए जाएँगे ।
- इस प्रकार 6 विषयों में कुल 24 सत्रीय कार्य होंगे ।
- न्यूनतम शब्द सीमा – 500 शब्द ।
- छात्राध्यापक पठन सामग्री में दी गई अवधारणाओं आदि के आधार पर अपने अनुभवों, विचारों को व्यक्त करेंगे ।
- जरूरी नहीं कि हर इकाई पर एक सत्रीय कार्य हो ।

सत्रीय कार्य का संचालन

- सत्रीय कार्य का आबंटन परिषद् द्वारा किया जावेगा। परन्तु प्रथम सत्रीय कार्य केन्द्र द्वारा दिया जावेगा।
- कला शिक्षण के अलावा हर विषय में प्रत्येक सत्रीय कार्य अनिवार्य रूप से लिखित ही होंगे।
- प्रशिक्षार्थियों द्वारा **सत्रीय कार्यों** को केन्द्र में निर्धारित समय के पूर्व जमा करना होगा।
- **सत्रीय कार्यों** का मूल्यांकन कर इनके अंकों को प्रशिक्षार्थी के प्रफाइल में अपलोड करना होगा।
- **सत्रीय कार्यों** का रेकार्ड केन्द्र द्वारा संधारित किया जावेगा तथा परिषद् के अनुमति पश्चात इन्हें नष्ट करना होगा। किसी भी स्थिति में यह अन्य किसी को प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

प्रायोजना कार्य

- – प्रायोजना का कार्य मुख्यतः बच्चों या समुदाय के साथ सैद्धांतिक समझ के अनुप्रयोग के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि कोई चाहे तो दो विषयों के समझ के आधार पर एक प्रायोजना बना सकता है।
- एक शैक्षिक वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए 1 प्रायोजना कार्य होंगे।
- इस प्रकार कुल 6 विषयों के लिए कुल 6 प्रायोजना कार्य होंगे।
- इसमें अवलोकन, केस, स्टडी, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फील्ड वर्क जैसे कार्य शामिल होंगे।
- प्रायोजना कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन केन्द्र स्तर पर होगा।



पाठ्यक्रम की रूपरेखा

डी.एड. प्रथम वर्ष

एन.सी.एफ. 2005

- ज्ञान की रचना, प्रकृति व स्वरूप।
- बच्चों के सीखने का तरीका व उनकी असीमित क्षमताओं की समझ।
- शाला में आने वाले बच्चों में विविधता व इसके कक्षा पर पड़ने वाला असर।
- विषयों की प्रकृति व उनकी प्रमुख धारणाएं।
- भाषाई विकास व उसका मनुष्य के जीवन के लिए महत्व।
- गणित का स्वरूप व समाज में इसे सीखने के प्रति व्याप्त भय को दूर करने जैसे कई मुद्दे।

एन.सी.एफ.टी.ई.

- शिक्षक का ज्ञान शाला में उपयोग सम्मत होना चाहिए।
- वह परिभाषाएं, कथन व सिद्धांतों को याद करने तक सीमित नहीं होना चाहिए।
- ज्ञान शिक्षक के अनुभव से जुड़ना चाहिए।
- सैद्धांतिक ज्ञान व अनुभव में लगातार अंतःक्रिया होना चाहिए।
- यह दस्तावेज पाठ्यक्रम के उस स्वरूप को बदलने पर जोर देता है जिसमें शिक्षा का एक सम्पूर्ण स्वरूप न उभर कर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन शास्त्र जैसे विषय पढाए जाते हैं।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य

- शिक्षक स्वयं को मात्र ज्ञान का हस्तांतरित करने वाला न समझ कर एक सीखने वाला व बच्चों के लिए खोजने, सीखने व अपने ज्ञान के निर्माण के लिए अवसर उपलब्ध कराने वाला समझे।
- वह अपने बच्चों को जान पाए, समझ पाए व उनके साथ अंतःक्रिया के दौरान उन के व्यवहार को ध्यान में रख कर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर पाए।
- कक्षा की विविधता को ध्यान में रखकर सभी प्रकार की पृष्ठभूमियों को महत्व देना सुनिश्चित कर सके।
- पाठ्य सामग्री पर विचार कर सके व उसमें सुधार के बारे में सोच सके।

पाठ्यक्रम से अपेक्षाएं

- आवश्यकता अनुरूप संसाधन जुटा सके।
- नई चीजें सीखने और सिखाने के प्रति विश्वास हो।
- सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उपयोगी अन्य साधनों को मान्यता देना।

सिद्धांत

1. विषयों में निहित अवधारणाओं, जानकारी प्राप्त करने के तरीकों और उनकी संरचना को समझेंगे। वे सीखने के अनुभवों को इस प्रकार तैयार करेंगे कि विषय सीखना बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधि होगा।
2. बच्चों का विकास कैसे होता है और वे कैसे सीखते हैं तथा बच्चों को सीखने के कैसे-कैसे मौके दिए जा सकते हैं जो उनके बौद्धिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकें।
3. बच्चों के सीखने के अलग-अलग तरीकों को समझेंगे और सीखने की विभिन्नता को ध्यान में रखकर सीखने के अवसर तैयार कर सकेंगे।

सिद्धांत

4. विभिन्न अनुदेशात्मक प्रविधियों का उपयोग कर छात्रों में समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान तथा उपलब्धि क्षमता/कौशल का विकास करने में सफल हो सकेंगे।
5. शैक्षिक (सीखने के लिए) वातावरण निर्माण के लिए वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रोत्साहन की समझ का उपयोग कर सकेंगे। जो सकारात्मक सामाजिक अंतःक्रिया, सीखने में सक्रिय भागीदारी तथा स्वप्रोत्साहन को बढ़ावा देगा।
6. प्रभावशाली शाब्दिक, अशाब्दिक संवाद के ज्ञान का उपयोग कक्षा में छात्रों को सक्रिय खोजपरक, सहयोगात्मक तथा सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए करेंगे।

सिद्धांत

7. सीखने-सिखाने की योजना का निर्माण, विषयवस्तु के ज्ञान, छात्र, समुदाय और पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के आधार पर करेंगे।
8. सीखने वाले के सामाजिक एवं शारीरिक विकास और निरंतर बौद्धिक विकास को सुनिश्चित एवं मूल्यांकित करने हेतु औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन प्रविधियों को समझेंगे और उपयोग करेंगे।
9. कला के बुनियादी सिद्धान्तों से परिचित होंगे। जिससे उन्हें अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों को उभारने में मदद मिलेगी। वे महानतम धरोहरों से परिचित होंगे ताकि अपने परिवेश की उत्कृष्ट कलाकृतियों का रसास्वादन कर सकें।

पाठ्यक्रम के मुख्य पक्ष

- ◆ सैद्धान्तिक पक्ष –
 - पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना, चिंतन मनन करना, विचार विमर्ष करना, निष्कर्ष निकालना
 - एसाइन्मेन्ट के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करना
- ◆ व्यावहारिक पक्ष –
 - सैद्धान्तिक सामग्रियों को प्रजेक्ट के माध्यम से व्यवहार में परखना
 - शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक की भूमिका को सिद्धान्तों के संदर्भ में परखना

मूल्यांकन योजना एवं अंक विभाजन (डी.एड. द्वितीय वर्ष)

क्र	विवरण	अंक
1.	सैद्धान्तिक परीक्षा कुल प्रश्न पत्र .6	
	प्रत्येक प्रश्नपत्र के अंक 80 – (6 X 80)	480 अंक
	प्रत्येक प्रश्न पत्र में सत्रीय कार्य अंक 20 (6 X 20)	120 अंक
		600 अंक
2.	व्यावहारिक, मूल्यांकन –	
	1.1.शालेय कार्यो पर चिंतन एवं मनन् कार्यक्रम	150 अंक
	1.2 प्रोजेक्ट कार्य	150 अंक
	कुल	300 अंक
	महायोग	900 अंक

डी.एड.प्रथम वर्ष सैद्धान्तिक विषय (दूरस्थ शिक्षा)

प्रश्न पत्र क्रमांक	विषय का नाम	आंतरिक मूल्यांकन	न्यूनतम उत्तीर्णांक	सैद्धान्तिक परीक्षा	न्यूनतम उत्तीर्णांक	योग	विशेष
पहला	ज्ञान, शिक्षाक्रम और शिक्षण शास्त्र	20	10	80	40	100	सैद्धान्तिक व व्यावहारिक (आंतरिक एवं प्रायोगिक) परीक्षा में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
दूसरा	बाल विकास और सीखना	20	10	80	40	100	
तीसरा	शाला व समुदाय	20	10	80	40	100	
चौथा	कला शिक्षण	10	10	40	40	100	
पांचवां	गणित व गणितशिक्षण	10		40			
छठवां	भाषा व भाषा शिक्षण	20	10	80	40	100	
योग		120	60	480	240	600	

धन्यवाद